

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा ढभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), पाली

क्रमांक: 3022

दिनांक: 29/10/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/PAL/0010724

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की आभशंषा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा ढभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 -1 दिनांक 10.10.2022 अवाढ 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निढ () के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजली से पीढतों को उनके नाम के सम्मुख अंकृत राश के अनुसार आर्थिक सहायता केरूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीढत का ढवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का ढवरण	देय सहायता राश
1	025/15330	नाम: Teriपिता का नाम: Lala Ram जिला: पाली	कालागडा नाना तह. बाली जिला पाली (राज.), कालागडा नाना तह. बाली जिला पाली (राज.), बाली, पंचायत समिति -बाली, ग्राम पंचायत -नाणा गाँव - भीमना	21/08/2025	आकाशीय बिजली		400000
योग							400000

इस राश का व्यय निम्न बजट मद से कया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिपत्र निम्नान्वितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पाली।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan
Mantri
Date: 2025.10.10 12:35:55 IST
Reason: Self-Attested
Location:

